


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2010—चैत्र 13, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (4) बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मद्य निर्माण शाला (ब्रूअरी) के लिये पर्यवेक्षण प्रभार रुपये 7,20,000/- प्रतिवर्ष की दर पर विहित करती है.

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (4) बी-1-36-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (4) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd April 2010

No. (4) B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by Rule 13 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, the State Government hereby, prescribes the Supervision charges for Brewery at the rate of Rs. 7,20,000/- per year.

This notification shall come into force with effect from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (5) बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (11) में, शब्द "आठ लाख" के स्थान पर, शब्द "नौ लाख बीस हजार" स्थापित किए जाएं.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (5) बी-1-36-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (5) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd April 2010

No. (5) B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by clauses (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Rule 3, in sub-rule (11), for the words "Eight lakh" the words "Nine lakh twenty thousand" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (6) बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. (13) ब-1-14-07-2-पांच, दिनांक 30 मार्च 2007 में जहां तक कि वह बी-3 बीयर विनिर्माणी की अनुज्ञप्ति से संबंधित है, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा वाईन नियम के अधीन जारी बी-3 बीयर विनिर्माणी अनुज्ञप्ति की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रूपए 9,20,000/- विहित करती है.

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (6) बी-1-36-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (6) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd April 2010

No. (6) B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in partial supersession of this department's notification No. (13) B-1-14-07-2-V, dated 30th March 2007 as far as it relates to the licence fee of B-3 Brewery the State Government, hereby, prescribes the annual licence fees of B-3 Brewery licence, issued under the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, to be Rs. 9,20,000/-.

This notification shall come into force with effect from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (7) बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (15) ब-1-14-07-2-पांच, दिनांक 30 मार्च 2007 को आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों के लिए नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अनुज्ञप्ति का नाम (2)	अनुज्ञप्ति फीस (3)
1	एफ. एल.—9 (बोतल भराई अनुज्ञप्ति)	रुपए 6,90,000/-
2	एफ. एल.—9-क (विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति)	रुपए 1,15,000/- (प्रत्येक फ्रेंचाईजर कंपनी के लिए)

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (7) बी-1-36-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (7) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd April 2010

No. (7) B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this department's notification No. (15) B-1-14-07-2-V, dated 30th March 2007, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fees specified in column (3) of the Table below for the licences specified in column (2) of the Table :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Licence (2)	Licence Fee (3)
1	F. L.-9 (Bottling Licence)	Rs. 6,90,000/-
2	F. L.-9-A (Special Bottling Licence)	Rs. 1,15,000/- (For every Franchisor Company)

2. This notification shall come into force with effect from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (8) बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश बीयर तथा वाईन नियमों के नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दिए अनुसार बीयर पर बॉटलिंग फीस विहित करती है :—

अनुक्रमांक (1)	मद (2)	दर (3)
1	स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा मध्यप्रदेश में विक्रय के प्रयोजन से स्वयं के ब्रांड पर बीयर विनिर्माण पर बॉटलिंग फीस.	रुपए 1.00 प्रति बल्क लीटर
2	स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा निर्यात के प्रयोजन के लिए स्वयं के ब्रांड पर बीयर विनिर्माण पर बॉटलिंग फीस.	रुपए 0.25 प्रति क्वार्ट बोतल

यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (8) बी-1-36-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (8) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd April 2010

No. (8) B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by Rule 14 of the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, the State Government, hereby prescribes the bottling fee on Beer as Below :—

S. No. (1)	Item (2)	Rate (3)
1	Bottling fee on Beer manufactured by local manufacturers on their own brands for purpose to sale in the Madhya Pradesh.	Rs. 1.00 Per Bulk liter
2	Bottling fee on Beer manufactured by local manufacturers on their own brands for export purpose.	Rs. 0.25 Per Quart Bottle

This notification shall come into force with effect from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.